



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235401
CG-DL-E-28042022-235401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1863]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944

No. 1863]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

का.आ. 1956(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओड़ीशा राज्य में धामरा - हल्दिया पाइपलाइन (डि एच पि एल) (जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओड़ीशा, गेल (इंडिया) लिमिटेड, 612, उत्कल सिग्नेचर, पाहाल, एन एच-16, भुवनेश्वर-751032 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदिशपुर - हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना					
अनुभाग - धामरा से हल्दिया					
3(1) अनुसूची					
राज्य : ओडिशा					
जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल	
				अधिसूचित क्षेत्र	संशोधित क्षेत्र
				हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर	हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
बालेस्वर	बस्ता	लछमनखुन्टा	1099	00 11 57	00 11 04
			1145	00 00 99	00 05 86
			1146		00 10 57
			1147		00 10 66
			1143		00 08 05
			1141	00 04 57	00 04 45
			1140		00 06 70
			1139	00 18 01	00 27 19
बालेस्वर	बस्ता	चकरडा	509	00 15 50	00 21 55
			510	00 00 05	00 20 42
			503		00 09 54
			502		00 00 33
			501		00 02 94
			558	00 01 06	00 01 64
			583	00 04 42	00 02 04
			582		00 02 88
			579	00 03 09	00 03 85
बालेस्वर	बस्ता	रेणूपदा	670	00 02 98	00 02 81
			827		00 05 25
			828		00 02 78
			826		00 06 99
			824	00 03 95	00 02 11

			825	00 00 28	00 02 56
			823	00 02 03	00 02 23
बालेस्वर	बस्ता	गुंडुरिसाहि	1	00 04 60	00 04 81
			5	00 01 03	00 04 66
			13	00 04 87	00 01 78
			14	00 00 43	00 00 78
			11	00 00 13	00 00 01
			9	00 14 53	00 00 59
			12	00 08 79	00 04 88
			8		00 02 23
			15		00 02 75
			16		00 00 86
			27		00 01 87
			17		00 00 15
			18		00 01 46
			19		00 01 65
			20		00 00 34
			21		00 01 43
			25		00 00 38
			22		00 00 85
			134		00 00 83
			133		00 05 27
			138		00 00 64
			136		00 00 06
			132		00 01 33
			131		00 00 60
			77		00 02 28
			36		00 00 98
			37		00 00 28
			38		00 02 72

[फा. सं. एल -14014 /76/2022- जी पी-II (ई-42385)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2022

S.O. 1956(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline, in the State of Odisha, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Odisha), GAIL (India) Limited, 612 Utkal Signature, Pahal, NH-16, Bhubaneswar – 751032.

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT					
DHAMRA TO HALDIA SECTION					
3(1) LAND SCHEDULE					
State : Odisha					
DISTRICT	TAHASIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA	
				NOTIFIED AREA	
				HECT. ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5	6
BALASORE	BASTA	LACHHAMANKHUNTA	1099	00 11 57	00 11 04
			1145	00 00 99	00 05 86
			1146		00 10 57
			1147		00 10 66
			1143		00 08 05
			1141	00 04 57	00 04 45
			1140		00 06 70
			1139	00 18 01	00 27 19
BALASORE	BASTA	CHAKARADA	509	00 15 50	00 21 55
			510	00 00 05	00 20 42
			503		00 09 54
			502		00 00 33
			501		00 02 94
			558	00 01 06	00 01 64
			583	00 04 42	00 02 04
			582		00 02 88
			579	00 03 09	00 03 85
BALASORE	BASTA	RENUPADA	670	00 02 98	00 02 81
			827		00 05 25
			828		00 02 78

			826		00 06 99
			824	00 03 95	00 02 11
			825	00 00 28	00 02 56
			823	00 02 03	00 02 23
BALASORE	BASTA	GUNDRISAHI	1	00 04 60	00 04 81
			5	00 01 03	00 04 66
			13	00 04 87	00 01 78
			14	00 00 43	00 00 78
			11	00 00 13	00 00 01
			9	00 14 53	00 00 59
			12	00 08 79	00 04 88
			8		00 02 23
			15		00 02 75
			16		00 00 86
			27		00 01 87
			17		00 00 15
			18		00 01 46
			19		00 01 65
			20		00 00 34
			21		00 01 43
			25		00 00 38
			22		00 00 85
			134		00 00 83
			133		00 05 27
			138		00 00 64
			136		00 00 06
			132		00 01 33
			131		00 00 60
			77		00 02 28
			36		00 00 98
			37		00 00 28
			38		00 02 72

[F. No. L-14014/76/2022 – GP-II (E-42385)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.